

63/200
06/11/26

(TO BE PUBLISHED IN THE DELHI GAZETTE PART IV – EXTRAORDINARY)

**GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
HOME-DOP DEPARTMENT**

5th Level, 'C' Wing, Delhi Secretariat, I.P. Estate New Delhi-110002

NOTIFICATION

Dated 19.12.2025

No. F.11/08/H-DOP/2025/ 883- 891 In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification no. F.24/78/68-DH(S) dated the 24th September, 1968, and in supersession of the No. F.11/17/2020/H-DOP/RR-II/158 to 166 dated the 27th May, 2022 Recruitment Rules is so far as they relate to the post of Chief Prosecutor, and anything done or omitted to be done before such supersession, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, after prior consultation with Union Public Service Commission, hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of the “**Public Prosecutor**” in Directorate of Prosecution, Government of National Capital Territory of Delhi, namely:-

1. Short title and commencement-

- (i) These rules may be called the Directorate of Prosecution, Government of National Capital Territory of Delhi, Public Prosecutor Recruitment Rules, 2025.
- (ii) They shall come into force on the date of their publication in Delhi Gazette.

2. Application: -These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and Pay Level in Pay Matrix – The number of the said post, its classification and pay level in pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

4. Method of recruitment, age limit, qualification etc:-The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters connected therewith, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. Disqualification:-No person,-

- (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with a person, shall not be eligible for appointment to the said post.

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax:-Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

A.D.(I.T.)
6/11/26

for
AD (IT)
6/11/26

for
AD (IT)
6/11/26

It may be forwarded to A.D.(I.T.) to upload on website
6.01.2026
AD (IT)

Qd

7. **Saving:** - Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions, required to be provided for the Schedule Castes, Schedule Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Govt. of India from time to time in this regard.

--SCHEDULE--

Name of Post	Number of posts	Classification	Pay Level in the Pay Matrix	Whether Selection or Non Selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other Qualification required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
PUBLIC PROSECUTOR	32* (2025) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Non-Ministerial Gazetted, Group 'A'	Level 12 (Rs. 78800-209200) in the Pay Matrix	Selection Post	Not Applicable	Essential:- Qualification: Not Applicable Experience: Not Applicable Desirable:- Qualification: Not Applicable Experience: Not Applicable Qualification Standard Note: N.A. Experience Standard Note: N.A.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any	Method of Recruitment,	In case of recruitment by Promotion / Deputation / transfer grade from which promotion / deputation / transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13
Age: Not Applicable Edu. Qual.: Not Applicable	Not Applicable	100% by Promotion	Additional Public Prosecutor in level 11(67700-208700) of the pay matrix with 05 years of regular service in the grade and having successfully completed 2-4 weeks mandatory training in the relevant field as prescribed by the department. Note: Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less., and have successfully completed their probation period for promotion to	Group Departmental Promotion Committee 1.Chairman or Member, Union Public Service Commission (Chairman). 2. Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi (Member) 3.Secretary Concerned, Govt. of NCT of Delhi (Member) 4.Director of Prosecution, GNCTD (Member)	Consultation with UPSC is not necessary.

Qx

			the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.		
--	--	--	---	--	--

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of the National
Capital Territory of Delhi,


(LALIT KANT GAUTAM)
DEPUTY SECRETARY (HOME)

No. F-11/08/H-DOP/2025/ 883 - 891

Dated: 19/12/2025

Copy forwarded for information and necessary action to the:-

1. Secretary to the Lt. Governor, Delhi, Raj Niwas, New Delhi.
2. OSD to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi, A-Wing, 5th floor, Delhi Secretariat.
3. Additional Chief Secretary (Home), Govt. of NCT of Delhi, C-Wing, 5th floor, Delhi Secretariat.
4. Principal Secretary (Services), Govt. of NCT of Delhi, B-Wing, 5th floor, Delhi Secretariat.
5. Special Secretary (Home), Govt. of NCT of Delhi, C-Wing, 5th floor, Delhi Secretariat.
6. Director, Directorate of Prosecution, Tis Hazari Court Complex, Delhi -54.
7. Legislative Counsel, Law Department, Govt. of NCT of Delhi, C-Wing, 8th floor, Delhi Secretariat.
8. Deputy Secretary (GAD/CN), Govt. of NCT of Delhi, A-Wing, 2nd floor, Delhi Secretariat, in duplicate for publication in Delhi Gazette, Part-IV (Extra-ordinary). 05 copies of the Gazette may please be supplied to this Department separately for office use.
9. Guard File.


(LALIT KANT GAUTAM)
DEPUTY SECRETARY (HOME)

(दिल्ली राजपत्र भाग-IV असाधारण में प्रकाशनार्थ)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
गृह-डीओपी विभाग
5वां तल, सी विंग, दिल्ली सचिवालय, आईओपी0 एस्टेट, नई दिल्ली -110002

दिनांक : 19/12/2025

अधिसूचना

फा0 सं0 11/08/गृ0-डीओपी/2025/883-891-गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 24 सितंबर, 1968 की अधिसूचना फा0 सं0 24/78/68-डीएच(एस) के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा मुख्य अभियोजक के पद से संबंधित भर्ती नियमावली, फा0 सं0 11/17/2020/गृ0-डीओपी/आर0आर0-II/158-166 दिनांक 27 मई, 2022 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या विलोप की जाने वाली बातों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व परामर्श के पश्चात् एतद् द्वारा अभियोजन निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में लोक अभियोजक के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :-

(क) इन नियमों को अभियोजन निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, लोक अभियोजक भर्ती नियमावली, 2025 कहा जायेगा।

(ख) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. अनुप्रयोग :- ये नियम इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 1 में निर्दिष्ट पदों के लिए लागू होंगे।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर :- उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा इसके साथ संलग्न वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथा विनिर्दिष्ट होंगे।

4. भर्ती पद्धति, आयु सीमा तथा योग्यता इत्यादि:- उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इनसे संबंधित अन्य मामलें उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथा विनिर्दिष्ट होंगे।

5. अयोग्यता :- ऐसा कोई भी व्यक्ति

(क) जो किसी व्यक्ति के जीवित पति/पत्नी के होते हुए विवाह करता है या विवाह का अनुबंध करता है; या

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा;

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार हो तो ऐसे किसी भी उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दी जा सकती है।

6. शिथिल करने की शक्ति :- जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए आदेश द्वारा व्यक्तियों की किसी भी वर्ग या श्रेणी के सम्बंध में इन नियमों के उपबंध में से किसी भी उपबंध को शिथिल कर सकती है।

7. बचाव:- इन नियमों की किसी भी बात का भारत सरकार द्वारा इरा संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबन्धित किये जाने के लिये आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।



अनुसूची

1.	पदनाम	: लोक अभियोजक
2.	पदों की संख्या	: *32 (2025) * इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर।
3.	वर्गीकरण	: सामान्य केन्द्रीय सेवा, अलिपिकीय, राजपत्रित, समूह 'क'
4.	वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर	: वेतन मैट्रिक्स स्तर -12 (78,800 -2,09,200 /- रुपये)
5.	क्या चयन पद अथवा गैर चयन पद है	: चयन पद
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	: लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ	: अनिवार्य : योग्यता : लागू नहीं अनुभव : लागू नहीं वांछनीय : योग्यता : लागू नहीं अनुभव : लागू नहीं योग्यता मानक टीप : लागू नहीं अनुभव मानक टीप : लागू नहीं
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	: आयु : लागू नहीं शैक्षणिक योग्यता - लागू नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	: लागू नहीं
10.	भर्ती की पद्धति	: 100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा
11.	यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है	: ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा सहित वेतन मैट्रिक्स के स्तर-11 (67,700 - 2,08,700 /- रुपये) में अपर लोक अभियोजक तथा विभाग द्वारा यथा निर्धारित प्रासंगिक क्षेत्र में दो से चार सप्ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने वाले। टीप - जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है वे पदोन्नति के लिए विचारणीय है। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे; बशर्ते कि उनके लिए अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा की अवधि के आधे से अधिक से न्यून न हो या दो वर्ष, इसमें जो भी कम हो, और उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने (कनिष्ठ अधिकारी) उतनी अर्हक/पात्रता पहले ही पूरी कर ली

Q1

		है।
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो, तो इसकी संरचना क्या है?	समूह 'क' विभागीय पदोन्नति समिति: 1. अध्यक्ष अथवा सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग – (अध्यक्ष) 2. मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार – (सदस्य) 3. संबंधित सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार – (सदस्य) 4. निदेशक, अभियोजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार – (सदस्य)
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर

(ललित कान्त गौतम)
उप-सचिव (गृह)

फा0 सं0 11/08/गृ0-डीओपी/2025/ 883- 891

दिनांक : 19/12/2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित :-

1. सचिव, उपराज्यपाल, दिल्ली, राजनिवास, नई दिल्ली ।
2. विशेष कार्याधिकारी, मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सरकार, ए-विंग, 5वां तल, दिल्ली सचिवालय।
3. अपर मुख्य सचिव (गृह), राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सरकार, सी-विंग, 5वां तल, दिल्ली सचिवालय।
4. प्रधान सचिव (सेवाएं), राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सरकार, बी-विंग, 5वां तल, दिल्ली सचिवालय।
5. विशेष सचिव (गृह), राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सरकार, सी-विंग, 5वां तल, दिल्ली सचिवालय।
6. निदेशक, अभियोजन निदेशालय, तीस हजारी न्यायालय परिसर, दिल्ली-54।
7. विधायी कौंसिल, विधि विभाग, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सरकार, सी-विंग, 8वां तल, दिल्ली सचिवालय।
8. उप सचिव (सा0प्र0वि0/समन्वय) , राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सरकार, ए-विंग, दूसरा तल, दिल्ली सचिवालय को
अनुलिपि में दिल्ली राजपत्र भाग-IV (असाधारण) में प्रकाशनार्थ । कृपया कार्यालयी प्रयोग के लिए राजपत्र की
05 प्रतियां इस विभाग को अलग से भिजवायें।
9. गार्ड फाइल ।

(ललित कान्त गौतम)
उप-सचिव (गृह)